रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 395] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 12, 1980/अग्रहायण 21, 1902
No. 395] NEW DELHI, FRIDAY, DEC. 12, 1980/AGRAHAYANA 21, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1980

सा. का. नि. 692(अ).—केन्द्रीय सरकार, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, उन सभी व्यक्तियों को जिन्हें 1964 या 1974 में हुए भारत-श्री लंका संप्रत्यावर्तन करारों के अधीन भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1क) के प्रवर्तन से, जहां तक उस उप-धारा का संबंध भारत-श्रीलंका पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदनों पर फीस का संदाय करने से है, छूट देती है।

[संख्या वी.-1/405/2/16/76]

माधव केशव मंगलमूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th December, 1980

G.S.R. 692(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby exempts all persons, who have been granted Indian citizenship under the India-Sri Lanka Repatriation agreements entered into in 1964 or 1974, from the operation of sub-section (1A) of section 5 of the said Act in so far as that sub-section relates to the payment of fees on applications for the issue of India-Sri Lanka passports.

[No. VI|405|2|18|76]

M. K. MANGALMURTI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980